न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डि./टीए/1766/2004/बीकानेर

1. रामूराम पुत्र जगू जाति जाट निवासी रायमलवाली हाल रामडा तहसील पूगल जिला बीकानेर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. हणूताराम पुत्र चौखाराम जाति जाट निवासी रामडा तहसील पूगल जिला बीकानेर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित–

श्री योगेन्द्रसिंह शक्तावत, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री वी.पी. सिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1
प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 11.0602018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–03–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, प्रथम मु0 बीकानेर के न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92–ए के तहत प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि एम.एफ.एफ.आर में

अवाप्त किये जाने के कारण उसको बतौर एम.एफ.एफ.आर विस्थापित होने से आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा ग्राम रामडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 258/2 रकबा 08बीघा 18बिस्वा दिनांक 15-07-1987 को आवंटित की गयी। वादी को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया वह निशानदेही की गयी, वो रकबा खसरा नम्बर 259 व खसरान नम्बर 260 में पडता है, जिस पर वह कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी को जिस भूमि का आवंटन हुआ वो भूमि हुणताराम प्रतिवादी संख्या-2 के कब्जे में है और वादी जिस भूमि पर काबिज है, वो भूमि उसके आवंटन की नहीं है। अतः वादी जिस भूमि पर काबिज काश्त है, उसी अनुसार आवंटन आदेश दुरूस्त किया जावे। यदि यह संशोधन किया जाना मुनासिब नहीं समझा जाता है तो प्रतिवादी संख्या-2 से वादी को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 03 विवाद्यक की विरचना कर उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-04-2000 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04-03-2004 से खारिज कर दी। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी अपीलार्थी के वादपत्र में अकित तथ्यों को समझने में विफल रहे है, साथ ही वादी द्वारा चाही गयी दादरसी व उस पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की अनदेखी करते हुए वाद व अपील को खारिज किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादी अपीलार्थी के इन कथनों को तो स्वीकार किया कि उसको एमएफएफआर विस्थापित के बदले भूमि खसरा नम्बर 258/2 रकबा 08बीघा 18बिस्वा दिनांक 15–7–1987 को आवंटित की गयी थी लेकिन उसको कब्जा भी इसी भूमि का दिया गया था, ना कि आराजी नम्बर 259 व 260 का। उनका कथन है कि वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की उससे वादी यह द्वारा यह साबित कर दिया था कि उसका प्रारम्भ से ही कब्जा खसरा नम्बर 259 रकबा 02बीघा व 260 रकबा 06बीघा 18बिस्वा पर रहा है, जिनका आगे चलकर किलों में परिवर्तन किया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार के तरमीम सम्बन्धी आदेश के तहत अपीलार्थी खसरा नम्बर 259 व 260 की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। उनका कथन है कि वादी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होकर प्रत्यर्थी संख्या–2 का कब्जा होने से सहायक आयुक्त द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध बेदखली की डिक्री का निर्णय पारित करना चाहिए था। केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या–2 का कब्जा आवंटित रकबे पर नहीं मानकर वादी का वाद खारिज करने का अधिकार विचारण न्यायालय को नहीं था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने

से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन अधिकारी द्वारा ग्राम रामडा स्थित खसरा नम्बर 258/2 रकबा 08बीघा 18बिस्वा भूमि एम.एफ.एफ.आर विस्थापित होने से वादी अपीलार्थी को आवंटन आदेश दिनांक 15–7–1987 से आवंटित की गयी थी तथा आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी वादी अपीलार्थी को दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया। उनका कथन है कि वादी अपीलार्थी को आवंटित भूमि के बजाय खसरा नम्बर 259 व खसरा नम्बर 260 का कब्जा नहीं दिया गया था। उनका कथन है कि आवंटित भूमि पर प्रतिवादी संख्या–2 व अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा काश्त नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर किसी का कब्जा नहीं होने से वह आवंटित भूमि पर काबिज हो सकता है। उनका कथन है किवादी स्वेच्छा से नाजायज रूप से अन्य भूमि पर काबिज होकर आवंटन आदेश में संशोधन करवाना चाहता है, जो विधिसम्मत् नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी ने विचारण न्यायालय सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, प्रथम मु0 बीकानेर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी खातेदारी की भूमि एम.एफ.एफ.आर में अवाप्त किये जाने के कारण उसको बतौर एम.एफ.एफ.आर विस्थापित होने से आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा ग्राम रामडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 258/2 रकबा 08बीघा 18बिस्वा दिनांक 15-07-1987 को आवंटित की गयी। वादी को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया वह निशानदेही की गयी, वो रकबा खसरा नम्बर 259 व खसरा नम्बर 260 में पडता है, जिस पर वह काबिज काश्त करता चला आ रहा है। वादी को जिस भूमि का आवंटन हुआ वो भूमि हुणताराम प्रतिवादी संख्या-2 के कब्जे में है और वादी जिस भूमि पर काबिज है, वो भूमि उसके आवंटन की नहीं है। अतः वादी जिस भूमि पर काबिज काश्त है, उसी अनुसार आवंटन आदेश दुरूस्त किया जावे। यदि यह संशोधन किया जाना मुनासिब नहीं समझा जाता है तो प्रतिवादी संख्या-2 से वादी को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाया जावे। विचारण न्यायालय ने दावे एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर 03 विवाद्यक की विरचना कर उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-04-2000 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रमाणित नहीं मानते हुए खारिज कर दिया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या-1 के निर्णय में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी आवंटी को ग्राम रामडा स्थित आवंटित खसरा नम्बर 258/2 रकबा 08बीघा 18बिस्वा का कब्जा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 22-09-1987 को दिया जाना तथा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि पर वादी आवंटी की

काश्त सम्वत् 2047 से 2050 तक होना प्रमाणित माना गया है। साथ ही सम्वत् 2047 से 2050 की खसरा गिरदावरी में खसरा नम्बर 259 व 260 में वादी अपीलार्थी द्वारा काश्त किया जाना प्रमाणित नहीं माना गया है। धारा 22 के नोटिस अनुसार वादी के पुत्र का कब्जा सम्वत् 2050 में खसरा नम्बर 259 व 260 पर रहा है। इससे पूर्व या पश्चात् की कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं हुई जिससे खसरा नम्बर 259 व 260 पर वादी आवंटी का कब्जा प्रमाणित हो। केवल मात्र मौखिक साक्ष्य से वादी आवंटी का खसरा नम्बर 259 व 260 पर लगातार कब्जा प्रमाणित नहीं मानते हुए उक्त तनकी संख्या–1 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया। इसी प्रकार तनकी संख्या–2 के निर्णय में वादी अपीलार्थी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 258/2 पर प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या–2 का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं मानते हुए उक्त तनकी को वादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए मूल वाद में कायम की गयी मुख्य तनकी संख्या–1 व 2 को वादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

9. इसी प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिनमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक वादी अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या–2 का कब्जा काश्त होने एवं उसके बेदखल किये जाने का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलार्थी को आवंटित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या–2 का कब्जा काश्त होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता

है। ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि बाबत् प्रत्यर्थी संख्या–2 के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के माध्यम से किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–03–2004 एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त, प्रथम, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–04–2000 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(महावीर सिंह)
सदस्य